Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



# कक्षा – 11

## व्यवसाय अध्ययन

### व्यवसाय के आधार – 1

### अध्याय – 2
### व्यावसायिक संगठन के स्वरूप

### भाग – 11
### संयुक्त पूंजी कम्पनी (अर्थ एवं लक्षण)

रूचिका सैनी

Under CSR Support by
ipca | Foundation

# विवरण (Overview)

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



1. एकल स्वामित्व
2. संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय
3. साझेदारी
4. साझेदारों के प्रकार
5. साझेदारी के प्रकार
6. सहकारी संगठन
7. संयुक्त पूंजी कम्पनी
8. कम्पनी के प्रकार
9. व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन
10. संगठन के स्वरूप के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



# संयुक्त पूंजी कम्पनी
# (Joint Stock Company)

अर्थ : संयुक्त पूंजी कम्पनी व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया ऐच्छिक संघ हैं। जिसका अपना एक अलग वैधानिक अस्तित्व जीवन तथा सार्वमुद्रा होती है तथा इसकी पूंजी हस्तांतरणीय शेयरों में बटी होती है तथा यह कम्पनी अधिनियम 1956 और 2013 द्वारा शासित।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

# संयुक्त पूंजी कम्पनी के लक्षण

1. कृत्रिम व्यक्ति (Artificial person) :

- कंपनी की रचना कानून द्वारा होती है तथा इसका अपने सदस्यों से अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है।
- एक प्राकृतिक व्यक्ति के समान कंपनी अपनी संपत्ति रख सकती है, ऋण ले सकती है, उधार ले सकती है, अनुबंध कर सकती है, दूसरों पर मुकदमा कर सकती है; दूसरे इस पर मुकदमा कर सकते हैं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

## 2. पृथक वैधानिक अस्तित्व (Separate legal entity) :

- समामेलन के दिन से ही कंपनी को एक अलग पहचान मिल जाती है, जो इसके सदस्यों से पृथक होती है।
- इसकी परिसंपत्तियाँ एवं इसकी देयताएं इसके स्वामियों की परिसंपत्तियों एवं देयताओं से पृथक होती हैं।
- कानून, व्यवसाय एवं इसके स्वामियों को एक नहीं मानता।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



## 3. स्थापना (Formation) :

- कंपनी की स्थापना अधिक समय लेने वाली, खर्चीली एवं जटिल प्रक्रिया है। इसके कार्य प्रारंभ से पहले कई प्रलेख तैयार करना तथा कई कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना होता है।
- कंपनियों का समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 अथवा किसी पूर्व कंपनी अधिनियम में होना अनिवार्य है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

4. **शाश्वत उत्तराधिकार** (Perpetual succession) :

कंपनी की रचना कानून द्वारा होती है तथा कानून ही इसका अंत कर सकता है। इसके अस्तित्व का अंत केवल तभी होगा जबकि इसको बंद करने की प्रक्रिया जिसे समापन कहते हैं, पूरी हो जाएगी।

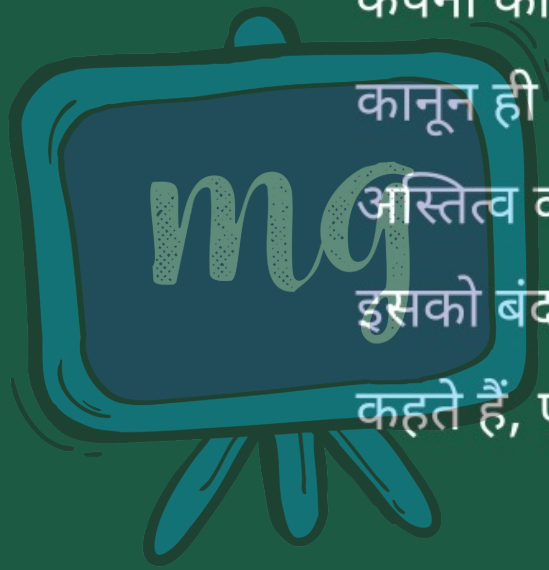

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

4. **नियंत्रण (Control) :** कंपनी के मामलों का प्रबंध एवं नियंत्रण निदेशक मंडल करता है, जो कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए उच्च प्रबंध अधिकारियों की नियुक्ति करता है।

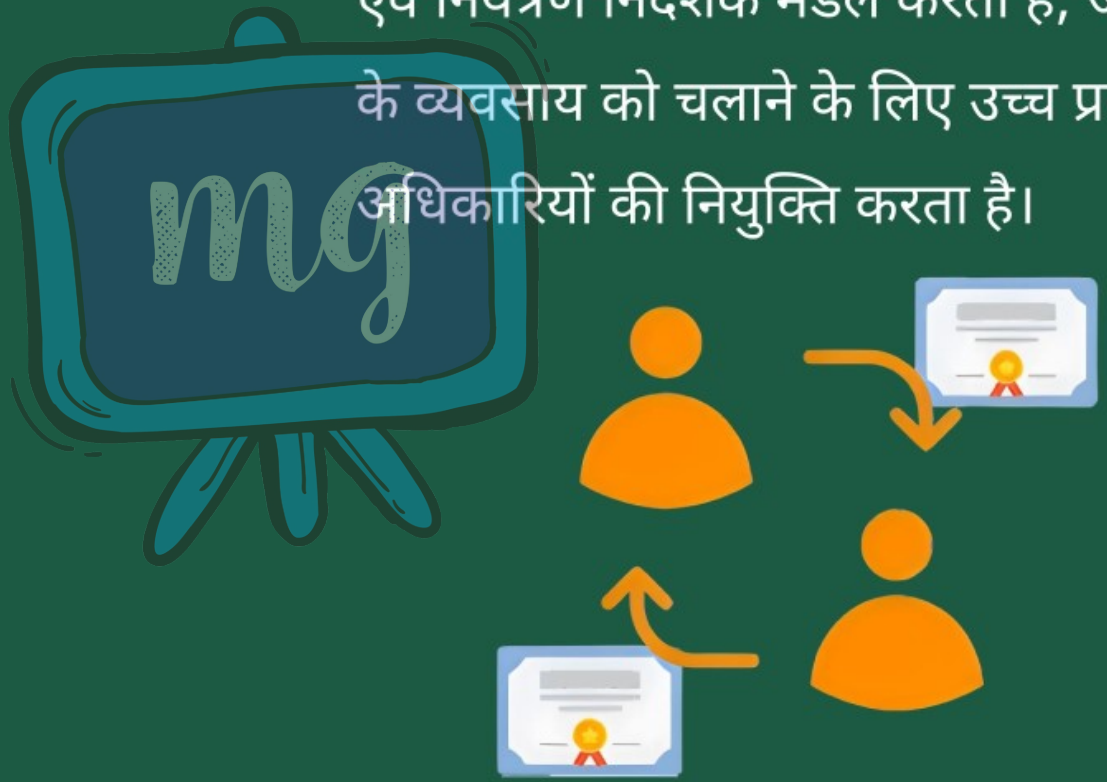

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

6. दायित्व (Liability) : हानि होने की स्थिति में सदस्यों का दायित्व कंपनी में उनके द्वारा लगाई पूँजी तक सीमित होता है।
7. सार्वमुद्रण (Common seal) : कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अपने नाम के हस्ताक्षर नहीं कर सकती। प्रत्येक कंपनी को एक सार्वमुद्रा का प्रयोग आवश्यक है जो कि अधिकारिक रूप से कंपनी के लिए हस्ताक्षर करती है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

8. **जोखिम उठाना (Risk bearing) :** कंपनी में हानि के जोखिम को सभी अंशधारक वहन करते हैं न कि एक या कुछ व्यक्ति जैसा एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी में होता है।



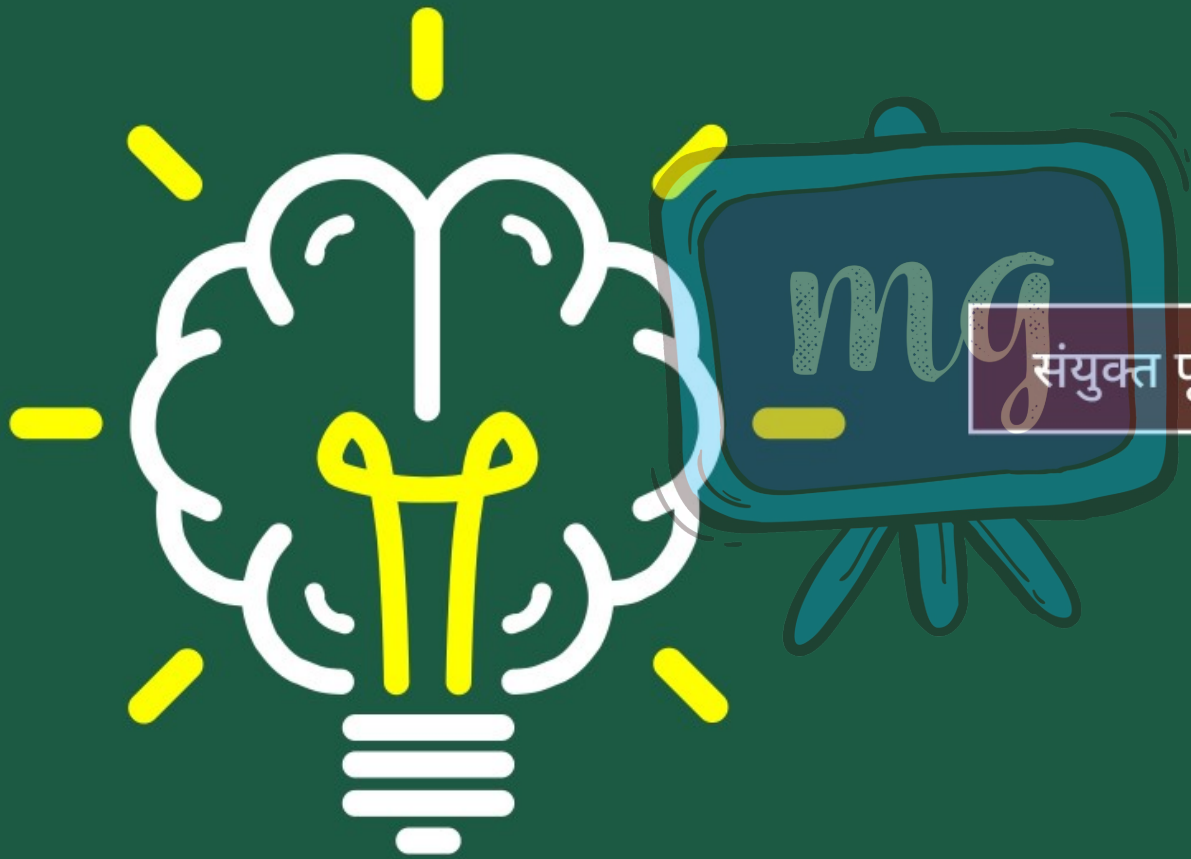

## संयुक्त पूंजी कम्पनी का अर्थ एवं लक्षण



1 कंपनी की स्थापना किसके माध्यम से होती है–

अ निदेशकों

ब अंशधारियों

स ऋणपत्रधारियों

द कानून



**2** कंपनी किस अधिनियम से शासित होती है–

अ कंपनी अधिनियम 1956

ब कंपनी अधिनियम 2013

स उपर्युक्त दोनों

द इनमें से कोई नहीं



**3** संयुक्त पूँजी कम्पनी के लक्षण हैं-

अ कृत्रिम व्यक्ति

ब पृथक वैधानिक अस्तित्व

स साश्वत उत्तराधिकार

द उपरोक्त सभी